न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी:—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—62/2023

वादी :—

चेनाराम पुत्र नारायणराम जाति चौधरी निवासी भूति तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी :—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय::

उपस्थित

श्री ललित जांगीड अधिवक्ता वादी

दिनांक :— 02.01.2025

वादी द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत प्रतिवादी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भूति तहसील समदडी के खसरा संख्या 315/74 रकबा 2.0234 हैक्टेयर भूमि अवस्थित जो वादी की खातेदारी की है विवादित भूमि वादी के पिता ने वादी के नाबालिग अवस्था में वादी के नाम खरीद की थी नाबालिग होने के कारण वादी के पिता सरंक्षक के जरिए राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम जरिये संरक्षक दर्ज हुआ ,वादी को बचपन में चैनाराम व शंकरराम दोनो नाम से पुकारे जाने के कारण वादी का नाम चैनाराम के स्थान पर शंकरराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ वादी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात में नाम चैनाराम दर्ज है । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से वादी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः वादी द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु दावा बाबत घोषणा व रेर्कड दुरूस्ती का प्रस्तुत करना नितान्त आवश्यक हो गया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया।

तहसीलदार समदडी द्वारा जबाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि विवादित भूमि का खरीद का नामान्तरकरण [illegible] समय परिवार के सदस्य ने वादी का नाम चैनाराम के स्थान पर [illegible] नामान्तरकरण के समय वादी की उम्र 1 से 2 वर्ष [illegible] राजकीय दस्ता[illegible]धारकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स में वादी का नाम चैनाराम [illegible] है। साथ ही यह भी [illegible] किया कि शंकरराम पुत्र नारायणराम नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम भूति में निवास नहीं करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह PW 1 वादी स्वंय चैनाराम व ,PW 2 देवीसिंह के सशपथ बयान कलमबद्व किये गये।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम भूति तहसील समदडी के खसरा संख्या 315/74 रकबा 2.0234 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाबालिग शंकरराम पुत्र नारायणराम संरक्षक नारायणराम जाति कलबी के स्थान पर चैनाराम पुत्र नारायणराम जाति कलबी घोषित कर तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का गंभीरता से अध्ययन व मनन किया। वाद पत्र के संलग्न प्रदर्श 1 जमाबंदी प्रदर्श 2 ए, परिवार राशनकार्ड प्रदर्श 3 ए व एस.बी.आई. शाखा समदडी द्वारा जारी बैंक पास बुक में वादी का नाम चैनाराम पुत्र नारायणराम दर्ज है, तहसीलदार समदडी ने भी कथन किया है कि ग्राम भूति में शंकरराम पुत्र नारायणराम नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहता है। वादी ने अपना वाद पत्र मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजात साक्ष्य से बखूबी साबित किया है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूति के खसरा संख्या 315/74 रकबा 2.0234 हैक्टेयर ग्राम भूति तहसील समदडी के राजस्व रेकर्ड में अंकित नाबालिग शंकरराम पुत्र नारायणराम संरक्षक नारायणराम जाति कलबी को निरस्त कर ''नाबालिग शंकरराम पुत्र नारायणराम संरक्षक'' के स्थान पर ''चैनाराम पुत्र नारायणराम जाति कलबी'' घोषित किया जाता है। तहसीलदार समदडी आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर रेकर्ड दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:37 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व इजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या 62/2023

वादी :–

चेनाराम पुत्र नारायणराम जाति चौधरी निवासी भूति तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : –02.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हाजरी श्री ललित जांगीड अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 315/74 रकबा 2.0234 हैक्टेयर ग्राम भूति तहसील समदडी के राजस्व रेकर्ड में अंकित नाबालिग ''शंकरराम पुत्र नारायणराम संरक्षक नारायणराम जाति कलबी'' को निरस्त कर ''नाबलिग शंकरराम पुत्र नारायणराम संरक्षक'' के स्थान पर ''चैनाराम पुत्र नारायणराम जाति कलबी'' दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार समदडी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना – अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.01.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)

सहायक कलक्टर (S.D.O)

सिवाना

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:37 IST
Reason: SelfAttested